

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 30 : Value of supply of goods or services or both based on cost

Where the value of a supply of goods or services or both is not determinable by any of the preceding rules of this Chapter, the value shall be one hundred and ten percent of the cost of production or manufacture or cost of acquisition of such goods or the cost of provision of such services.

नियम 30 : माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का लागत पर आधारित मूल्य

जहां माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य इस अध्याय के पूर्ववर्ती किसी नियम द्वारा अवधार्य नहीं है, वहां मूल्य उत्पादन या विनिर्माण की लागत या ऐसे माल के अर्जन की लागत या ऐसी सेवाओं के प्रदान किए जाने की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा।
